IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

जस्टिस पार्टी, आत्म-सम्मान आंदोलन और स्वतन्त्रता-पूर्व तमिलनाडु में सामाजिक न्याय- एक अध्ययन

प्रेम प्रभात
सहायक प्राध्यापक-सह-अध्यक्ष, इतिहास विभाग
एस.पी.जैन कॉलेज, सासाराम

शोध-सारांश: वर्तमान भारत में सामाजिक न्याय सर्वाधिक प्रमुख राजनीतिक वायदों में सर्वोच्च है। देश के हर क्षेत्र की पार्टी इसे सुनिश्चित करने के नाम पर चुनाव में उतरती है। आश्चर्यजनक रूप से इस मुद्दे को लोगों का जबर्दस्त समर्थन भी मिलता है। लेकिन अन्य भारतीय राज्यों की तमाम कोशिशों के बावजूद इसे सुनिश्चित करने में वैसी सफलता नहीं मिली, जैसी सफलता तमिलनाडु में मिली है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में तमिलनाडु को मिली सफलता कई मायनों में अद्वितीय है, क्योंकि वहाँ स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद के दिनों में भी यह सर्वोच्च मुद्दा रहा। ऐसी कोशिश भारत के अन्य किसी राज्य में देखने को नहीं मिलती है। जहाँ हर भारतीय राज्य में कमोबेश स्वतन्त्रता-पूर्व की क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया था, वहीं तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी ने कांग्रेसी प्रभुत्व का भरपूर सामना किया और अपने शासन के दौरान सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के हर वो प्रयास किए जो आजादी के बाद के दिनों में भी अनुकरणीय बन गये। इस पार्टी ने अपने तमाम राजनीतिक मुद्दे में सामाजिक न्याय को सबसे ऊपर रखा और इसे जमीन पर उतारने की आदर्श रणनीतियाँ अपनाईं जिसकी बदौलत आज तक इस राज्य ने विकास और गुणवत्ता में अन्य राज्यों को पछाड़ रखा है। ऐसा नहीं है कि यह उपलब्धि सिर्फ जस्टिस पार्टी के हिस्से की हो, इसमें अन्य कारक और परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार रही थीं। बावजूद इसके जस्टिस पार्टी ने अपने नामानुरूप कार्य किया और इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई। प्रस्तुत शोध-आलेख में अध्येता द्वारा इस पार्टी के द्वारा अपनाई गई गैर-ब्राहमण वैचारिकी, क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों और तमाम उपलब्धियों के बावजूद एक समय के बाद इसके अवसान का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाएगा।

कुंजी शब्द: सामाजिक न्याय, जस्टिस पार्टी, गैर-ब्राह्मणवाद, तमिलनाडु, कांग्रेस, आत्म-सम्मान आंदोलन,आर्थिक विकास-सह-गुणवत्ता, राजनीतिक प्रभुत्व, मद्रास प्रेसीडेंसी।

विषय प्रवेश:

किसी भी समाज की संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ मूल्य बहुत ही अनिवार्य होते हैं। इन्हें दरकिनार करके एक सम्यक् समाज का निर्माण कतई नहीं किया जा सकता है। इन्हीं मूल्यों में सर्वोच्च स्थान न्याय को प्राप्त है। इस न्याय के कई आयाम है- राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश हर देश के संविधान में मौजूद हैं और उनका औपचारिक पालन भी दृष्टिगोचर होता है। भारतीय संविधान इसका सबसे सबल प्रमाण है। लेकिन इन सभी प्रावधानोन और कार्यान्वयन के बावजूद जो न्याय सबसे प्रमुख है और सहज ग्राह्य होना चाहिए, वह मृग-मरीचिका साबित हो रहा है। यह व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा है। यह है- सामाजिक न्याय। हर राजनीतिक पार्टी इसको सुनिश्चित करने के दावे-प्रतिदावे करती है, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। इसी राजनीतिक विमर्श में भारत के हर राज्य और हर पार्टी द्वारा कोशिश की जा रही है, पर इसमें तमिलनाडु को जैसी सफलता मिली है, उसकी तुलना किसी अन्य राज्य से नहीं हो सकती है। यह सिर्फ आजादी के बाद की कोशिशों का प्रतिफल न होकर आजादी-पूर्व की जस्टिस पार्टी और ब्राह्मण-प्रभुत्व के खिलाफ चले आत्मसम्मान आंदोलन के अथक प्रयासों की परिणति है। तमिलनाडु की यह सफलता न केवल इस राज्य विशेष बल्कि सामाजिक न्याय

की वकालत करने वाली तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी एक मिसाल है। ख़ासकर, उत्तर भारत के बीमारू राज्यों में शुमार होनेवाले बिहार के लिए यह अनुकरणीय हो सकता है।

शोध-प्रविधि

यह शोध-आलेख अपनी प्रकृति में ऐतिहासिक है, इसलिए इसमें ऐतिहासिक शोध-प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इसमें शोध स्रोतों में प्राथमिक एवं द्वितीयक- दोनों तरह के स्रोतों का प्रयोग किया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के साथ-साथ तमिलनाडु के इतिहास परलिखे गए समकालीन और तत्कालीन किताबों का अध्ययन शामिल है।

मद्रास प्रेसीडेंसी & जस्टिस पार्टी

मद्रास प्रेसीडेंसी में जस्टिस पार्टी का शासन दक्षिण भारत के इतिहास में एक अहम अध्याय है। जस्टिस पार्टी की विचारधारा और मकसद कांग्रेस पार्टी से अनोखे और कुछ अलग थे। जस्टिस पार्टी ने गैर-ब्राह्मण आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया और सार्वजनिक सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मणों के दबदबे के खिलाफ एक सामाजिक क्रांति लाई।

कई कारणों से जस्टिस पार्टी बनी, जिसने गैर-ब्राह्मण आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। ब्राह्मणों का सामाजिक दबदबा गैर-ब्राह्मण आंदोलन के उभरने का मुख्य कारण था। सिविल सर्विस, शैक्षणिक संस्थानों में उनकी ज़्यादा संख्या और मद्रास विधान मण्डल में उनके प्रभुत्व से गैर-ब्राह्मणों में बहुत चिंता पैदा हुई। ब्राह्मणों ने प्रेस पर भी कब्ज़ा कर लिया था। तमिल भाषा और साहित्य की महानता की फिर से खोज ने भी गैर-ब्राह्मणों को प्रोत्साहन दिया। खासकर, 1856 में रेवरेंड रॉबर्ट कैल्डवेल द्वारा 'ए कंपेरेटिव ग्रामर ऑफ़ द द्रविड़ियन ऑर साउथ इंडियन फैमिली ऑफ़ लैंग्वेजेज' नाम की किताब के पब्लिकेशन से द्रविड़ियन कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। बाद में प्राचीन तमिल साहित्य को अरुमुगा नवलर, सी.वी. दामोदरम पिल्लई और यू.वी. स्वामिनाथ अय्यर सहित कई तमिल विद्वानों ने फिर से खोजा और छापा। वी. कनकसभाई पिल्लई ने अपनी मशहूर ऐतिहासिक रचना, 'द तमिल्स 1800 इयर्स एगो' में बताया कि आर्यों के आने से पहले तमिलों ने उच्च स्तर की सभ्यता हासिल कर ली थी। इससे गैर-ब्राह्मणों में द्रविड़ियन भावनाओं का विकास हुआ। इन सभी कारणों ने मिलकर गैर-ब्राह्मण आंदोलन और जस्टिस पार्टी के जन्म में योगदान दिया।

जस्टिस पार्टी का शुरुआती रूप मद्रास यूनाइटेड लीग था, जिसका नाम नवंबर 1912 में बदलकर मद्रास द्रविड़ियन एसोसिएशन कर दिया गया। डॉ. सी. नटेसा मुदलियार ने इस संगठन को बनाने में अहम भूमिका निभाई। 1916 में 'गैर-ब्राह्मण जाति के हिंदुओं के राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने' के मकसद से साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया गया। इस संगठन को बनाने के पीछे पिट्टी त्यागराया चेट्टी, डॉ. टी.एम. नायर, पी. रामरायनिंगर (पनागल के राजा) और डॉ. सी. नटेसा मुदलियार जैसे नेता थे। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने जस्टिस नाम का एक अंग्रेजी अखबार निकाला और इसी वजह से इस संगठन को जस्टिस पार्टी कहा जाने लगा। जस्टिस पार्टी को सपोर्ट करने वाला दूसरा अखबार द्रविड़ियन (तमिल में) था। इसके अलावा, जस्टिस पार्टी ने गैर-ब्राह्मण आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए कई सार्वजनिक सभाएँ,, कॉन्फ्रेंस और भाषण आयोजित किए। इसी तरह, जस्टिस पार्टी ने जिका संघ और गैर-ब्राह्मण युवा लीग भी बनाए।

न्याय आंदोलन

मद्रास प्रेसीडेंसी में जस्टिस पार्टी का शासन दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जस्टिस पार्टी ने गैर-ब्राह्मण आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया और सार्वजनिक सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मणों के प्रभुत्व के खिलाफ एक सामाजिक क्रांति लाई। जस्टिस पार्टी, जिसे आधिकारिक तौर पर साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसीडेंसी में एक राजनीतिक पार्टी थी। इस पार्टी की स्थापना 1916 में टी.एम. नायर और थियागराया चेट्टी ने की थी। अपने शुरुआती सालों में, पार्टी ने शाही प्रशासनिक निकायों को याचिकाएँ देकर प्रशासन में गैर-ब्राह्मणों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। इस पार्टी ने तमिल में 'द्रविड़ियन', तेलुगु में 'आंध्र प्रकाशिका' और अंग्रेजी में 'जस्टिस' प्रकाशित किया। इसलिए इसे 'जस्टिस पार्टी' कहा जाने लगा।

जस्टिस पार्टी का शासन

मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के अनुसार 1920 में हुए चुनाव के बाद जस्टिस पार्टी सत्ता में आई। जस्टिस पार्टी ने मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल की 98 चुनी हुई सीटों में से 63 सीटें जीतीं। चूंकि पिट्टी त्यागराय चेट्टी ने मंत्रालय का नेतृत्व करने से मना कर दिया, इसलिए ए. सुब्बारायुलु रेड्डियार ने मंत्रालय बनाया। 1923 के चुनाव में इसने स्वराज पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। जस्टिस पार्टी ने फिर से बहुमत हासिल किया और पनागल के राजा ने मंत्रालय बनाया। 1926 के चुनाव में एक विभाजित जस्टिस पार्टी को एकजुट कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए, एक स्वतंत्र उम्मीदवार, ए. सुब्बारायण ने स्वराज पार्टी की मदद से मंत्रालय बनाया। 1930 में जब अगला चुनाव हुआ तो जस्टिस पार्टी ने बहुमत हासिल किया और बी. मुन्नीस्वामी नायडू के नेतृत्व में मंत्रालय बनाया। 1932 में बोब्बिली के राजा ने प्रेसीडेंसी के प्रधानमंत्री के

रूप में उनकी जगह ली। 1934 में बोब्बिली के राजा ने अपना दूसरा मंत्रालय बनाया, जो 1937 के चुनाव तक सत्ता में रहा। फिर जस्टिस पार्टी पेरियार ई.वी. रामासामी और उनके आत्म-सम्मान आंदोलन के नेतृत्व में आई। 1944 में सेलम सम्मेलन में। पेरियार ने जस्टिस पार्टी को द्रविड़ कज़गम नामक एक सामाजिक संगठन में बदल दिया और इसे चुनावी राजनीति से हटा लिया।

इसकी विफलता के कई कारण थे।

- जस्टिस पार्टी तब सत्ता में आई जब दुनिया आर्थिक मंदी से गुज़र रही थी।
- राष्ट्रवादी आंदोलन लोकप्रिय था और आज़ादी की ओर बढ़ रहा था।
- जाति और धन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए पार्टी ने अपनी पकड़ खो दी।
- चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय और उभार

इस प्रकार जस्टिस पार्टी ने अपने अस्तित्व के कुछ वर्षों बाद ही अपनी शक्ति खो दी।

जस्टिस पार्टी की उपलब्धियाँ

जस्टिस पार्टी तेरह साल तक सत्ता में रही। इसका प्रशासन सामाजिक न्याय और सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता था। जस्टिस शासन ने सरकारी सेवाओं में गैर-ब्राह्मण समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। इसने शिक्षा सुधारों के माध्यम से पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार किया। जस्टिस पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित सुधार किए:

- मद्रास में पहली बार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा शुरू की गई।
- मत्स्य पालन विभाग द्वारा लगभग 3000 मछुआरे लड़कों और लड़कियों को मुफ्त विशेष शिक्षा दी गई।
- मद्रास के चुनिंदा कॉर्पोरेशन स्कूलों में मिड-डे मील दिया गया।
- प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए 1934 और 1935 में मद्रास प्राथमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन किया गया।
- मद्रास में जस्टिस शासन के दौरान लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला।
- पिछड़े वर्गों की शिक्षा का जिम्मा श्रम विभाग को सौंपा गया।
- आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया।

सरकार ने जिला मुंसिफों की नियुक्ति का अधिकार हाई कोर्ट के नियंत्रण से बाहर कर दिया। 1921 और 1922 के सांप्रदायिक सरकारी आदेशों ने स्थानीय निकायों और शैक्षणिक संस्थानों में गैर-ब्राह्मण समुदायों के लिए नियुक्तियों में बढ़े हुए अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया। 1924 में पनागल मंत्रालय द्वारा गठित स्टाफ चयन बोर्ड को 1929 में लोक सेवा आयोग बनाया गया। यह भारत में अपनी तरह का पहला आयोग था। महिलाओं को पुरुषों के समान आधार पर वोट देने का अधिकार दिया गया। पनागल मंत्रालय द्वारा अधिनियमित 1921 के हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम ने मंदिरों के प्रबंधन में भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की। जस्टिस पार्टी सरकार ने आर्थिक सुधार पेश किए। उद्योगों के विकास में सहायता के लिए राज्य सहायता उद्योग अधिनियम, 1922 पारित किया गया। इससे नए उद्योगों की स्थापना हुई जैसे: चीनी कारखाने, इंजीनियरिंग कार्य, चमड़ा कारखाने, एल्यूमीनियम कारखाने, सीमेंट कारखाने और तेल मिलें आदि। इस अधिनियम ने उद्योगों को ऋण प्रदान किया, भूमि और पानी आवंटित किया। यह औद्योगिक प्रगति के लिए अनुकूल साबित हुआ। इसी तरह, जस्टिस पार्टी सरकार ने कृषि आबादी की मदद के लिए ग्रामीण विकास योजनाएं, बीमारियों को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएं शुरू कीं। गाँव की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए गाँव सड़क योजना शुरू की गई। मद्रास शहर में मद्रास कॉर्पोरेशन की नगर सुधार समिति ने झुग्गी-झोपड़ी उन्मूलन और आवास योजनाएं शुरू कीं। सामाजिक कल्याण के उपायों के तौर पर जस्टिस पार्टी सरकार ने गांवों में बेकार ज़मीनें दलित वर्गों को दीं। महिलाओं के लिए अपमानजनक देवदासी प्रथा को खत्म कर दिया गया। जस्टिस प्रशासन ने मद्रास यूनिवर्सिटी के कामकाज को फिर से व्यवस्थित किया। जस्टिस पार्टी के शासन के दौरान, 1926 में आंध्र यूनिवर्सिटी और 1929 में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई।

- अपने शासनावधि में इस पार्टी ने आर्थिक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से ग्रामीण विकास के युग की शुरुआत की।
- अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधित्व में असंतुलन को ठीक किया और दलित वर्गों की स्थिति में सुधार किया।
- 1921 और 1922 के सांप्रदायिक निर्देशों ने स्थानीय निकायों और शैक्षणिक संस्थानों में गैर-ब्राह्मणों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान किया। चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद, पक्षपात और अन्य प्रभावों से बचने के लिए, इस सरकार ने 1924 में एक कर्मचारी चयन बोर्ड बनाया और यह उच्च शिक्षण संस्थानों को विनियमित करने के लिए लोक सेवा आयोग बन गया।

- ➤ 1925 में आंध्र विश्वविद्यालय और 1929 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय खोले गए।
- ➤ मंदिर खातों को विनियमित करने के लिए, मंदिर समितियों का गठन किया गया। 1926 में हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती विधेयक पारित किया गया।
- ➤ महिलाओं को 1921 में वोट देने का अधिकार दिया गया, देवदासी प्रथा को समाप्त किया गया, महिलाओं की अनैतिक तस्करी को रोका गया और उद्योग अधिनियम पारित किया गया।
- ➤ गरीबों को आवास स्थलों के लिए मुफ्त पट्टे देने की प्रणाली शुरू की गई।
- ➤ थाउजेंड लाइट्स में मध्याह्न भोजन योजना शुरू करके थियागराया चेट्टियार ने स्कूल को मजबूत किया।
- ➤ इसने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहन दिया।

जस्टिस पार्टी के शासन का अंत

1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था और चुनावी जीत का मतलब था प्रांत के प्रशासन में एक बड़ी ज़िम्मेदारी लेना। के. वी. रेड्डी नायडू ने जस्टिस पार्टी का नेतृत्व किया, जबकि सी. राजगोपालाचारी ने दक्षिण में कांग्रेस का नेतृत्व किया। 1937 के चुनाव में, कांग्रेस ने विधान सभा की 215 सीटों में से 152 और विधान परिषद की 46 सीटों में से 26 सीटें जीतीं। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने सी. राजगोपालाचारी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाई।

इस प्रकार, जस्टिस पार्टी का शासन, जिसने महत्वपूर्ण सामाजिक कानून पेश किए थे, समाप्त हो गया। 1944 में सेलम में जस्टिस पार्टी का सम्मेलन हुआ। वहाँ पेरियार अन्ना ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कज़गम कर दिया गया।

19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान वी.ओ.सी., सुब्रमण्य भारती, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजाजी जैसे महान नेता स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे। तमिलनाडु के कुछ महान नेताओं ने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उनका मानना था कि जब लोगों को सामाजिक न्याय, आत्म-सम्मान और गरिमा से वंचित किया जाता है तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है।

स्वतन्त्रता पूर्व मद्रास प्रेसीडेंसी की सरकारें, पार्टी और उनकी कार्यावधि						
क्रम	मुख्यमंत्रियों के नाम	कब से	कब तक	कार्यावधि	राजनीतिक दल	चुनाव
01	ए सुब्बारायालू रेड्डीयर	17/12/2020	11/07/1921	0206 दिन	जस्टिस पार्टी	मद्रास विधानमंडल चुनाव-1920
02	पानागाल के राजा	11/07/1921	11/09/1923	0792 दिन	जस्टिस पार्टी	
03	पानागाल के राजा	19/11/2023	04/12/1926	1111 दिन	जस्टिस पार्टी	मद्रास विधानमंडल चुनाव-1923
04	पी सुब्बारायन	04/12/1926	27/10/1930	1423 दिन	निर्दलीय	मद्रास विधानमंडल चुनाव-1926
05	बी मुन्नूस्वामी नायडू	27/10/1930	05/11/1932	0740 दिन	जस्टिस पार्टी	मद्रास विधानमंडल चुनाव-1930
06	रंगाराव (बोबिल्ली के राजा)	05/11/1932	05/11/1934	0730 दिन	जस्टिस पार्टी	
07	रामकृष्णा रंगाराव	05/11/1934	04/04/1936	0516 दिन	जस्टिस पार्टी	मद्रास विधानमंडल चुनाव-1934
08	पी टी राजन	04/04/1936	24/08/1936	0142 दिन	जस्टिस पार्टी	
09	रामकृष्णा रंगाराव	24/08/1936	01/04/1937	0220 दिन	जस्टिस पार्टी	
10	कूर्म वेंकट रेड्डी नायडू	01/04/1937	14/07/1937	0104 दिन	अंतरिल मंत्रिमंडल	मद्रास विधानमंडल चुनाव-1937
11	सी राजगोपालाचारी	14/07/1937	29/10/1939	0837 दिन	कांग्रेस पार्टी	
12	राज्यपाल शासन	29/10/1939	20/04/1946	2375 दिन	राज्यपाल शासन	
13	टी प्रकाशम	30/04/1946	23/03/1947	0327 दिन	कांग्रेस पार्टी	मद्रास विधानमंडल चुनाव-1946
14	ओ पी रामास्वामी रेड्डीयर	23/03/1947	15/08/1947	0146 दिन	कांग्रेस पार्टी	
https://sistnpsc.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/05/ch_6_socio-political-movements-in-tamil-nadu_1st_chapter.pdf						

आत्म-सम्मान आंदोलन

ई.वी. रामासामी पेरियार तमिलनाडु के सबसे महान समाज सुधारक थे। वह देश के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने लोगों के मन में आत्म-सम्मान, तर्कवाद, महिला मुक्ति और सामाजिक समानता की भावना पैदा की। ई.वी. रामासामी का जन्म 17 सितंबर, 1879 को इरोड में एक बहुत अमीर हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी शादी 13 साल की उम्र में हुई और 19 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। साधु के कपड़े पहनकर वे कई पवित्र स्थानों पर गए। वे काशी गए जहाँ उन्होंने देखा कि ब्राह्मण गैर-ब्राह्मणों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने इसकी निंदा की और तमिलनाडु लौट आए। अपने विचारों को साकार करने के लिए वे 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें 1921 में मद्रास राज्य कांग्रेस कमेटी का सचिव और 1923 में इसका अध्यक्ष चुना गया।

वे असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। आखिरकार त्रावणकोर सरकार ने इस तरह के भेदभाव में ढील दी और लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी। इसलिए पेरियार को 'वाइकोम हीरो' की उपाधि दी गई। पेरियार ने कांग्रेस के फंड से शेरमादेवी में चलाए जा रहे गुरुकुल शैली के एक स्कूल का दौरा किया। उन्होंने देखा कि गैर-ब्राह्मण छात्रों को ब्राह्मणों से अलग करके अलग-अलग जगहों पर पीने का पानी और खाना दिया जाता है। उन्होंने इस असामाजिक प्रथा का विरोध किया और मद्रास राज्य कांग्रेस के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांचीपुरम में आयोजित राज्य कांग्रेस सम्मेलन में गैर-ब्राह्मणों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रस्ताव रखा। लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। इसलिए पेरियार ने सम्मेलन छोड़ दिया और अपने विचारों और नीतियों को फैलाने और लागू करने के लिए 1925 में आत्म-सम्मान आंदोलन शुरू किया।

उद्देश्य

आत्म-सम्मान आंदोलन ने दूसरी जातियों, समाज, राजनीति और धर्म पर ब्राह्मणों के प्रभुत्व की निंदा की और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसने परंपरावाद और अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। इसने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। उपलब्धियाँ पेरियार ने सार्वजनिक सभाओं में बेकार विचारों, अंधविश्वासी मान्यताओं और अविश्वसनीय पौराणिक कहानियों की आलोचना की। उन्होंने कुडियारासु, पुरत्ची, विधुथलाई के माध्यम से आत्म-सम्मान के सिद्धांतों का प्रसार किया। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कुछ किताबें भी प्रकाशित कीं और सोशलिस्ट मैनिफेस्टो के 14 बिंदुओं का प्रचार किया। जस्टिस पार्टी ने इसे स्वीकार किया और इसका प्रचार करने की कोशिश की। बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उन्होंने परिवार नियोजन का सुझाव दिया। उन्होंने तमिल लिपि सुधार को भी प्रोत्साहित किया और आसान सीखने के लिए रोमन लिपि अपनाने का सुझाव दिया। मद्रास में आयोजित महिला सम्मेलन में उन्हें 'पेरियार' की उपाधि दी गई। 1937 के चुनाव में, जस्टिस पार्टी हार गई और उसका पतन अपरिहार्य हो गया। 1944 के सेलम सम्मेलन में, जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर 'द्रविड़ कज़गम' कर दिया गया। पेरियार की महत्वाकांक्षाएं द्रमुक और अन्नाद्रमुक द्वारा पूरी की गई।

निष्कर्ष और उपादेयता

जस्टिस पार्टी के सिद्धांतों, संघर्ष और कार्यों के उपर्युक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष सहज ही निकलता है कि जिस भारत में सामाजिक न्याय की हर पार्टी दुहाई देती है, परंतु उसे हासिल नहीं कर सकी है, उसी भारत के एक राज्य की क्षेत्रीय पार्टी से इसे संभव करके दिखा दिया है। उसने समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की वैकल्पिक समझ विकसित की और उसे जमीन पर सच करके दिखाया। उत्तर भारत के तमाम हिंदीभाषी राज्यों, जिन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जकड़न के चलते बीमारू (बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) राज्य कहा जाता है, के लिए तमिलनाडु की उक्त उपलब्धि एक मॉडल और प्रेरणा की तरह है। तमिलनाडु की सफलता इन राज्यों की असफल कोशिशों पर एक सवालिया निशान छोड़ जाती है।

संदर्भ:

1. सोशियो-पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन तमिलनाडु (डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्लोयमेंट एंड ट्रेनिंग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई द्वारा प्रकाशित)
2. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पेरियार,डॉ के वीरामणि द्वारा संपादित
3. विद्या भूषण रावत का ऑनलाइन आलेख "फ्रॉम पेरियार टू वीरामणि: द अनकम्प्रोमाइजिंग वॉइस ऑफ सोश्ल जस्टिस इन तमिलनाडु" https://www.counterview.net/2025/12/from-periyar-to-veeramani.html
4. ए कोम्पेरेटिव स्टडी ऑफ आइडियाज़ ऑफ सोशल जस्टिस इन मॉडर्न इंडिया-2014 (धर्मवीर शाहू क्षीरसागर, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापूर का अप्रकाशित शोध-प्रबंध)
5. हिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन तमिलनाडु (DRAVIDAPOZHIL, October-December,2022 में प्रो वी हरासु, मद्रास विश्वविद्यालय का आलेख) पृष्ठ: 111-18)
6. ए डिपर स्टडी ऑन रामासामी पेरियार ऑफ तमिलनाडु ऑन नोन-एग्जिस्टेंस ऑफ ईश्वर (2025 IJCRT | Volume 13, Issue 1 January 2025 | ISSN: 2320-2882 में कार्ल्स टोप्पो का आलेख)
7. सोशल जस्टिस इन इंडिया: प्रिसेप्ट & प्रैक्टिस (अमित सरकार, काशी विद्यापीठ,वाराणसी,1991 का अप्रकाशित शोध-प्रबंध)
8. विश्वनाथन, ई.एस.(1983): "द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ ई वी रामासामी नायकर: 1920-49", रवि & वसंत पब्लिशर्स, मद्रास